

#1300

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाढ (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - रूपपुर)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1620

दापर दिनांक 01/10/25

निर्णय दिनांक 09/10/25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1			महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्राविष्टी	शुद्ध प्राविष्टी	तहसिलीदार कपासन की अनुशंशा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रूपपुर</u> प.ह. <u>रूपपुर</u> खातासं. <u>130</u> में वर्तमान प्राविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	
			हस्ताक्षर महोदय	हस्ताक्षर मिरतावर	हस्ताक्षर व माहर तहसिलदार	
			पटवारी	पटवारी	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

प्रतिलिपि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार महोदय को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

तहसिलदार कपासन

तहसिलदार (भू.अ.)

तहसील कपासन जिला-चितौड़गाढ

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन-जिला चितौड़गाढ